



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

क्रमांक- 5466

दिनांक- 17.12.2024

—: विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के परिपत्र क्रमांक/12 दिनांक 23.09.2015 तथा पत्र क्रमांक/20812 दिनांक 22.11.2024 में दिए गए निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर हेतु 12 व तालुका स्तर पर नीमकाथाना हेतु 12, लक्ष्मणगढ़ हेतु 8 एवं फतेहपुर हेतु 5, श्रीमाधोपुर हेतु 9, दांतारामगढ़ हेतु 6, रींगस हेतु 4 अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलंटियर्स) का आगामी एक वर्ष तक के लिए पैनल गठित करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(1)शैक्षणिक योग्यता : आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए।

(2)आवेदन पत्र : इस हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(3)चरित्र : आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(4)शारीरिक योग्यता : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

(5)आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।
3. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
5. जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
6. आधार कार्ड व राशन कार्डकी स्वप्रमाणित प्रति।

(6) आवेदन की अंतिम तिथि : आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2024 सांय 5.00 बजे तक की रहेगी। आवेदनकर्ता सीकर मुख्यालय हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर पर व तालुका हेतु संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर व्यक्तिशः आवेदन जमा करवायें। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापन होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(7) पात्रता :आवेदक संबंधित क्षेत्र/पंचायत समिति का स्थानीय/क्षेत्रीय निवासी होना चाहिए। अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पीएलवी कम्यूनिटी वर्कर के रूप में कार्य करने की क्षमता, समर्पण एवं योग्यता को दृष्टिगत रख कर चयन किया जायेगा।

(8) साक्षात्कार:- दिनांक 10.01.2025 को जिला एवं सेशन न्यायालय सीकर के सभागार में प्रातः 11 बजे पात्र अभ्यर्थियों को स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित आना होगा। साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची तालुका मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर की वेबसाइट पर दिनांक 07.01.2025 को प्रकाशित की जायेगी।

चयनित अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) के कर्तव्य (ड्यूटी) :

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
3. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रपण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
6. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
7. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि-लीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडियेशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
8. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति जो उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
9. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, अस्पताल, आवासीय सेवाएं, बैंक व वित्तीय संस्था सेवाएं तथा लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
10. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।
11. पी.एल.वी. द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का इन्द्राज रजिस्टर में रखना होगा।

(9) स्पष्टीकरण : स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस पंचायत समिति पर पी.एल.वी. का कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) को उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय-समय

(फिक्स) मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों/आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह किसी पद के विरुद्ध नियोजन या सेवा सम्बन्धी कार्य नहीं है और पी.एल.वी. के नाते किया गया चयन या दिया गया प्रशिक्षण कोई अधिकार सृजित नहीं करता है। पी.एल.वी. का कार्य स्वैच्छिक विधिक जागरूकता एवं विधिक सेवा कर सामाजिक एवं विधिक जागृति में रुचिकर व्यक्तियों की स्वैच्छिक सेवा प्राप्त करना है। इस विज्ञप्ति के जरिये आवेदन या चयन से या पी.एल.वी. के कार्य करने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के साथ कोई सेवा संविदा नहीं मानी जावेगी। पीएलवी का चयन पूर्णतया अस्थाई होगा तथा इनकी सेवाएं बिना किसी नोटिस/परिलाभ के समाप्त की जा सकेंगी तथा यह नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

क्रमांक- 5467-थ1

दिनांक-17.12.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -।

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर
3. श्रीमान अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, सीकर को प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चरमा करावें।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथना/श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ़/दांतारामगढ़/रींगस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को न्यायालय एवं विधिक सेवा समितियों के नोटिस बोर्ड पर चरमा करावें।
5. श्रीमान अध्यक्ष, अभिभाषक संघ समस्त सीकर न्यायक्षेत्र जरिये अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ़/दांतारामगढ़/रींगस।
6. प्राचार्य, श्री कल्याण राजकीय विज्ञान/कला/वाणिज्य महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय/शहीद भगतसिंह विधि महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय, सीकर
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला सीकर
8. अधीक्षक, जिला कारागृह, सीकर/ उपकारागृह, नीमकाथाना व फतेहपुर
9. सहायक निदेशक, महिला बाल विकास विभाग, सीकर
10. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि इसका प्रकाशन ई-कोर्ट वेबसाइट पर करावें।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. विवाहित/अविवाहित.....
(विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नी का नाम)
4. जाति.....
5. संवर्ग- सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग.....
6. स्थायी पता
7. वर्तमान पता.....
8. निकटतम पुलिस स्टेशन.....
9. जन्म तिथि(अंको में)
- जन्म तिथि(शब्दों में)
10. वर्तमान आयु(दिनांक 01.01.2025 को).....
11. शैक्षणिक योग्यता
12. आवेदक जिस स्थान पर कार्य करना चाहता है उस पंचायत समिति का नाम
13. ई-मेल व मोबाईल नम्बर.....
14. कंप्यूटर ज्ञान(हां/नहीं).....
15. यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं,
तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए.....
16. आवेदक के विरुद्ध कोई भी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं.
यदि है तो पूर्ण विवरण.....
17. यदि पूर्व में सामुदायिक कार्यकर्ता (Community Worker) के रूप में
कार्य किया गया हो तो उसका संक्षिप्त विवरण.....
18. आवेदक वर्तमान में किस संस्था, एनजीओ या किसी विशेष
ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण.....

पासपोर्ट साईज फोटो
रवय के हस्ताक्षर
राहित

आवेदक के हस्ताक्षर
मय दिनांक

—: सहमति पत्र :-

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....

.....सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं तथा मैंने विज्ञप्ति एवं उसमें अंकित शर्तों का पूर्णतया अवलोकन कर लिया है एवं मैं विधिक सेवा केन्द्रों/जागरूकता कार्यक्रमों/आदि कार्यों के लिए अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलैन्टियर) की सेवाएं देने बाबत विज्ञप्ति अनुसार अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मे पंचायत समिति.....में पीएलवी के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर
मय दिनांक